न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
019/2018 (GCMS 2018/00167)	23.01.2018	03.02.2021

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. चन्द्रप्रकाश सेन पुत्र मदनलाल उम्र 34 वर्ष (विक्रेता/मालिक) मैसर्स श्रीराम लघु उद्योग सदर बाजार बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़ निवासी सदर बाजार बेंगूॅ, तहसील बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़।
2. मैसर्स श्रीराम लघु उद्योग सदर बाजार बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़ निवासी सदर बाजार बेंगूॅ, तहसील बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र सिंह राणावत दिनांक 08.03.2017 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चितौडगढ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहे थे, और इनको राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था, और जिला चितौडगढ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते है। गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छायाप्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.03.2017 को समय 03.40 पी.एम. पर मैसर्स श्रीराम लघु उद्योग, सदर बाजार बेगूॅ जिला चित्तौड़गढ पर पहुँचे। वहां पर श्री चन्द्रप्रकाश सेन पुत्र श्री मदनलाल उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक की हैसियत से खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (**Loose**)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:48 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

व अन्य किराणा सामान आदि आम जनता को विक्रय कर रहे थे, एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर विक्रेता से खाद्य लाईसेन्स प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, जो कि विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किया गया। मौके पर गवाहान श्री महेन्द्र सिंह एवं श्री शंकरलाल शिल्पकार की उपस्थिति में आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया व खाद्य नमूना **AM-791** पश्चात विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त फर्म पर हल्दी पाउडर (**Loose**) 20 किलो एक स्टील की टंकी (टंकी पर कुछ भी अंकन नहीं है) में लगभग 20 किलो उपभोग एवं विकय हेतु रखा पाया गया। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत जॉच हेतु लेने के लिए विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर **V-A** की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ को तुलवाकर 02 किलोग्राम वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 480/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, जो न्याय निर्णायन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है, साथ ही उक्त फर्म द्वारा प्रस्तुत उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय बिल की प्रति व खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति भी संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ को चार बराबर–बराबर भागो मे (प्रत्येक भाग मे 1 शील्ड पोलिपेक) बाँट कर अलग–अलग रखा। उक्त नमुना भागो हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर मैने, गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागजों में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ की हरताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-791** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक पेंदे पर एवं दाई और एवं एक बाई और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें एवं सीलबन्द नमुनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमुने का पुर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हरताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नमुने के एक भाग (चोथा भाग) को एक्रीएटेड लैब में जांच कराने की जानकारी मौके पर ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं रामझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हरताक्षर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:48 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किये। जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिर्पोट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ के पत्र क्रमांक/**FSSA/2017/1251** दिनांक 28.03.2017 द्वारा ज्ञात हुआ कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था जो कि एफएसएस एक्ट 2006 के अनुसार **Violate Section 26(2)(V)** होना पाया गया। जाँच रिर्पोट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रतियां संलग्न है। श्रीराम गृह उद्योग बेगू चित्तौड़गढ द्वारा स्वयं के संविधान के सम्बन्ध में वाणिज्यकर विभाग रजिस्ट्रेशन की प्रति व खाद्य रजिस्ट्रेशन को प्रति प्रस्तुत की गयी जो की संलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 1251 दिनांक 28.03.2017 की पालना में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चितौडगढ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/**FSSA/2017/3111** दिनांक 18.02.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने हल्दी पाउडर (**Loose**) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (**II**) का उल्लघंन किया हैं जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 मे निर्धारित है। अंत में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि आवेदन न्याय निर्णयन हेतु श्रीमान को प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:48 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 22.03.2018 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

दिनांक 03.02.2021 को पत्रावली पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात को गहनता पूर्वक परिशीलन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। उक्त प्रश्नगत खाद्य पदार्थ अप्रार्थी के कब्जे से बरामद किया गया है, जिसकी पुष्टि फर्द पंचनामा से होती हैं। अप्रार्थी के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई जिससे पत्रावली पर परिवाद का किसी भी प्रकार का खंडन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या **LS 98/Act/2017/123** दिनांक 21.03.2017 का अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था, जो कि एफएसएस एक्ट 2006 के अनुसार **Violate Section 26(2)(V)** होना पाया गया। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

ANALYSIS REPORT---

(i) Sample description:- The sample contained in pet jar.

(ii) Physical appearance:- Fine yellow powder, no visible insect infestation or mould growth.

(iii) Label :-- Loose sample AS per form no. VI. The FBO sales Haldi Powder in loose bag of 5kg in loose condition. There is violation of regulation no. 2.3.14(15) of Food Safety and Standards (Prohibition and restrictions on sales) regulations 2011, as the product is sold in loose condition.

Opinion:- The sample Haldi Powder (Loose) (as per from no. vi) Bearing code no, and serial no. AM- 791 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh. The sample is violate section 26(2)(v) of the Food Safety Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (**Loose**) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **26(2)(v)** के तहत पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य पदार्थ इस अधिनियम और इसके अधीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:48 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (**Loose**) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा पदार्थ एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **26(2)(v)** का उल्लंघन किया है। इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **26(2)(v)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **26(2)(v)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है एवं अप्रार्थीगण अप्रार्थी चन्द्रप्रकाश सेन पुत्र मदनलाल उम्र 34 वर्ष (विक्रेता/मालिक) मैसर्स श्रीराम लघु उद्योग सदर बाजार बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़ निवासी सदर बाजार बेंगूॅ, तहसील बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **26(2)(v)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **26(2)(v)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 58 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 58 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.
While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

58. Penalty for contraventions for which no specific penalty is provided.
Whoever contravenes any provisions of this Act or the rules or regulations made thereunder, for the contravention of which no penalty has been separately provided in this Chapter, shall be liable to a penalty which may extend to two lakh rupees.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:48 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **26(2)(v)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त संख्या 1 चन्द्रप्रकाश सेन पुत्र मदनलाल उम्र 34 वर्ष (विक्रेता/मालिक) मैसर्स श्रीराम लघु उद्योग सदर बाजार बेंगूँ जिला चित्तौड़गढ़ निवासी सदर बाजार बेंगूँ, तहसील बेंगूँ जिला चित्तौड़गढ़ की दोषी सिद्धि होने से अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **26(2)(v)**का उल्लघंन करने से अभियुक्त जिला चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ को 50000/– अक्षरे पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>03.02.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 20:07:48 IST
Reason: SelfAttested